(100)

(207)

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा</u>
<u>(म0प्र0)</u>

RS002-II/17 शिव प्रसाद पिता रामदास चौरसिया निवासी ग्राम बड़ी गोरगी, तहसील गुढ़, जिला रीवा म0प्र0

——**आवेदक**

बनाम्

1– पदुमनाथ पिता बृजनन्दन सिंह निवासी ग्राम बड़ी गोरगी, तहसील गुढ़, जिला रीवा म0प्र0

2– शासन म0प्र0

———— **अनावेदकगण**

अधि० श्री देवदत्त द्विवेदी, द्वारा प्रस्तुत 03-01-017

निगरानी विरुद्ध आदेश प्रकरण **कमांक** 03अ12/16–17 दिनांक 26–12–16 **न्यायालय** श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील गुढ़, जिला रीवा म0प्र0 द्वारा राजस्व निरीक्षक तहसील गुढ़, जिला रीवा <u>म0प्र0</u>

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 <u>भू–राजस्व संहिता 1959 ई0</u>

मान्यवर,

<u>निगरानी के आधार निम्नलिखित है:–</u>

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, एवं प्रक्रिया के विपरीत है जो किसी भी हालत में कायम रखने योग्य नही है।

2– यह कि उपरोक्त आराजियात खसरा नम्बर 871/1 के कई बटे नम्बर है जिनमें कोई नक्शा तरमीम मौके के अनुसार नही है और ऐसी स्थिति पर बिना नक्शा

शिवप्रसाद
3/1/017

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5002–दो / 2017 जिला–रीवा

शिवप्रसाद चौरसिया / पदुमनाथ सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सी0पी0 तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 03 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	